"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2009—आश्विन 8, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	मोहन नगर (पश्चिम) वार्ड
		22	स्टेशन पारा वार्ड
		47	सिविल लाईन (उत्तर) वार्ड
		53	पोटियाकला (दक्षिण) वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	37	आजाद वार्ड
		44	बाबा गुरूघासीदास वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	20	शहीद भगत सिंह (उत्तर) वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	19	शहीद भगत सिंह (दक्षिण) वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	मोहन नगर (पूर्व) वार्ड
		18	औद्योगिक नगर (दक्षिण) वार्ड
		24	आमदी मंदिर वार्ड
		26	संतराबाड़ी वार्ड
		33	चंडी मंदिर वार्ड
		36	गंजपारा वार्ड
		45	पद्मनाभपुर (पश्चिम) वार्ड
		54	पुलगांव वार्ड
		55	बघेरा वार्ड
		56	उरला वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	21	तितुरडीह वार्ड
		28	पचरी पारा वार्ड
		32	ब्राम्हण पारा वार्ड
		39	कचहरी वार्ड
		50	बोरसी (पूर्व) वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	नयापारा वार्ड
		8	तकिया पारा वार्ड
		9	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		10	शंकर नगर (पश्चिम) वार्ड
		14	सिकोला भाठा वार्ड
		16	सिकोला बस्ती (उत्तर) वार्ड
		25	गायत्री मंदिर वार्ड
		30	तमेर पारा वार्ड
		38	मील पारा वार्ड
		42	कसारीडीह (पश्चिम) वार्ड
		43	कसारीडीह (पूर्व) वार्ड
		49	बोरसी (पश्चिम) वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009 - -The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Durg, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37

of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Mohan Nagar (West) Ward
		22	Station Para Ward
		47	Civil Line (North) Ward
		53	Potiakala (South) Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	37	Azad Ward
		44	Baba Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	20	Shahid Bhagat Singh (North) Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	19	Shahid Bhagat Singh (South) Ward
5.	Other Backward Class	13	Mohan Nagar (East) Ward
		18	Audhogik Nagar (South) Ward
		24	Amdi Mandir Ward
		26	Santarabadi Ward
		33	Chandi Mandir Ward
		36	Ganjpara Ward
		45	Padamnabhpur (West) Ward
		54	Pulgaon Ward
		55	Baghera Ward
		56	Urla Ward
6.	Other Backward Class (Female)	21	TiturdihWard
		28	Pachripara Ward
		32	Bramhan Para Ward
		39	Kuchahari Ward
		50	Borsi (East) Ward
7.	Female	1	Nayapara Ward
		8	Takiyapara Ward
		9	Swami Vivekanand Ward
		10	Shankar Nagar (West) Ward
		14	Shikola Bhatha Ward
		16	Shikola Basti (North) Ward
		25	Gaytri Mandir Ward
		30	Tamerpara Ward
		38	Millpara Ward
		42	Kasaridih (West) Ward
		43	Kasaridih (East) Ward
		49	Borsi (West) Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका बेमेतरा,

जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	रामदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	गुरू गोविंद सिंह वार्ड
		11	कर्मामाता वार्ड
		18	मस्जिद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	शहीद हेमु कलाणी वार्ड
		4	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
7.	महिला वर्ग	9	बाबा रामदेव वार्ड
		10	शहीद भगत सिंह वार्ड
		13	परसु राम वार्ड
		16	राम मंदिर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Bemetara, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	1	Ramdas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	7	Guru Govind Singh Ward
		11	Karma Mata Ward
		18	Masjid Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Shahid Hemu Kalani Ward
		4.	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
7.	Female	9	Baba Ramdev Ward
		10	Shahid Bhagat Singh Ward
		13	Parsu Ram Ward
		16	Ram Mandir Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका कुम्हारी, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	बजरंग चौक वार्ड
		10	शंकर नगर वार्ड
		17	रामपुर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	21	कबीर नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	20	भारत नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	संजय नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	गणेश चौक वार्ड
		12	डंगनिया तालाब वार्ड
		16	परसदा वार्ड
		18	तालाब पार वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	महामाया वार्ड
		23	इंदिरा नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	गुरु घासीदास वार्ड
		7	राम नगर वार्ड
		19	आदर्श नगर वार्ड (डी. एम. सी.)
		22	सत्य नगर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Kumhari, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	1	Bajrang Chowk Ward
		10	Shankar Nagar Ward
		17	Rampur Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	21	Kabir Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	20	Bharat Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	Sanjay Nagar Ward
5.	Other Backward Class	3	Ganesh Chowk Ward
		12	Danganiya Talab Ward
		16	Parsada Ward
		18	Talab Par Ward
6.	Other Backward Class (Female)	4	Mahamaya Ward
		23	Indira Nagar Ward
7.	Female	6	Guru Ghasidas Ward
		7	Ram Nagar Ward
		19	Adarsh Nagar Ward (D. M. C.)
		22	Satya Nagar Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका बालोद, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	जवाहर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	शीतला वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	शहीद भगतसिंह वार्ड
		5	हलधर वार्ड
		9	सरदार पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	सुभाष वार्ड
		13	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	गुरू घासीदास वार्ड
		16	तिलक वार्ड
		18	इंदिरा गांधी वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Balod, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	11	Jawahar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	14	Shahid Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Shitla Ward
5.	Other Backward Class	1	Shahid Bhagat Singh Ward
		5	Haldhar Ward
		9	Sardar Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Subhash Ward
		13	Dr. Ambedakar Ward
7.	Female	7	Guru Ghasidas Ward
		16	Tilak Ward
		18	Indira Gandhi Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका दल्लीराजहरा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	वल्लभ नगर वार्ड
		23	मदर टेरेसा वार्ड
		25	जगजीवन वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	27	गुरूघासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	बजरंग वार्ड
		14	सुदामा नगर वार्ड
		16	भगत सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	घोड़ा मंदिर वार्ड
		17	रानी झमित कुंवर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	आजाद वार्ड
		7	पं. राधाकृष्णन वार्ड
		10	वीर नारायण सिंह वार्ड
		18	दन्तेश्वरी वार्ड
		20	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	रा[illegible]रा बाबा वार्ड
		24	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	हॉस्पिटल वार्ड
		12	दुर्गावती वार्ड
		15	नि[illegible]गी नगर वार्ड
		22	जैन मंदिर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Dallirajhara, D[illegible] is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for [illegible] Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11

Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	3	Vallabh Nagar Ward
		23	Mother Teresa Ward
		25	Jag Jivan Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	27	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	11	Bajrang Ward
		14	Sudama Nagar Ward
		16	Bhagat Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	Ghoda Mandir Ward
		17	Rani Jhamit Kunwar Ward
5.	Other Backward Class	2	Azad Ward
		7	Pt. Radha Krishnan Ward
		10	Vir Narayan Singh Ward
		18	Danteswari Ward
		20	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Rajhara Baba Ward
		24	Rani Laxmi Bai Ward
7.	Female	6	Hospital Ward
		12	Durgawati Ward
		15	Niyogi Nagar Ward
		22	Jain Mandir Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत नवागढ़, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	गुरू घासीदास वार्ड
		8	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		13	मिनीमाता वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	बुढ़ा देव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	दीनदयाल वार्ड
		12	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		14	शंकर नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	लाल बहादुर वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	विवेकानंद वार्ड
		7	महात्मा गांधी वार्ड
		10	रविदास वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Nawagarh, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	1	Guru Ghasidas Ward
		8	Dr. Rajendra Prasad Ward
		13	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Budha Dev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	2	Dindayal Ward
		12	Maharani Laxmi Bai Ward
		14	Shankar Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Lal Bahadur Ward
7.	Female	4	Vivekanand Ward
		7	Mahatma Gandhi Ward
		10	Ravi Das Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बेरला, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	मिनीमाता वार्ड
		10	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		12	महाराणा प्रताप वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		6	सुभाष वार्ड
		13	शिवाजी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	सरदार भगत सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		3	महात्मा गांधी वार्ड
		7	तिलक वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Berla, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	9	Mini Mata Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
		10 12	Dr. Rajendra Prasad Ward Maharana Pratap Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	4	Dr. Ambedkar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	5 6 13	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward Subhash Ward Shivaji Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Sardar Bhagat Singh Ward
7.	Female	1 3 7	Pt. Dindayal Upadhyay Ward Mahatma Gandhi Ward Tilak Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत साजा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	सतबहिनिया वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	सिविल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	3	[illegible]तपुर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	7 8 14	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड बाबा रामदेव वार्ड महामाया वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	2	शीतला वार्ड
		11	महात्मा गांधी वार्ड
		15	मॉ कर्मा वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Saja, Distt. Durg is pu b-lished as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Schedu ed Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961). as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	9	Satbahiniya Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	12	Civil Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	3	Bharatpur Ward
5.	Other Backward Class	7	Maharani Laxmi Bai Ward
		8	Baba Ramdev Ward
		14	Mahamaya Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Chandrashekhar Azad Ward
7.	Female	2	Shitla Ward
		11	Mahatma Gandhi Ward
		15	Ma Karma Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत खम्हरिया,

जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	इंदिरा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	गुरु घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		4	गोल बाजार वार्ड
		10	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	महंत जी वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	माता देवाला वार्ड
		7	शीतला माता वार्ड
		14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Khamharia, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	13	Indira Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	3	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		4	Goal Bazar Ward
		10	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Mahant Ji Ward
7.	Female	6	Mata Dewala Ward
		7	Shitla Mata Ward
		14	Dr. Bhimrao Ambedakar Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत परपोड़ी, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	वीर नारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		9	शीतला नगर वार्ड
		10	शंकर नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	माँ दुर्गा वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	महात्मा गांधी वार्ड
		6	बजरंग वार्ड
		8	विवेकानंद वार्ड
		12	कबीर नगर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Parpodi, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	3	Dr. Ambedakar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	11	Vir Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	7 9 10	Maharani Laxmi Bai Ward Shitla Nagar Ward Shankar Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	13	Ma Durga Ward
7.	Female	1 6 8 12	Mahatma Gandhi Ward Bajrang Ward Vivekanand Ward Kabir Nagar Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत देवकर, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग		निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	बुढ़ा देव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	रानी दुर्गावती वार्ड
		14	शिव मंदिर वार्ड
		15	अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	महामाया वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	संतोषी वार्ड
		6	श्री राम मंदिर वार्ड
		9	अग्रसेन वार्ड
		11	राधा कृष्ण वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Devkar, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste		Nil
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	7	Budha Dev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	2	Rani Durgavati Ward
		14	Shiv Mandir Ward
		15	Abdul Kalam Azad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Mahamaya Ward
7.	Female	1	Santoshi Ward
		6	Shree Ram Mandir Ward
		9	Agrasen Ward
		11	Radha Krishn Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत धमधा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग		निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		9	शीतला मंदिर वार्ड
		10	महामाया मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	इंदिरा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		7	महात्मा गांधी वार्ड
		12	जय अम्बे वार्ड
		14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Dhamdha, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	4	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		9	Shitla Mandir Ward
		10	Mahamaya Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Indira Gandhi Ward
7.	Female	3	Dr. Rajendra Prasad Ward
		7	Mahatma Gandhi Ward
		12	Jai Ambey Ward
		14	Lal Bahadur Shastri Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत अहिवारा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	इंदिरा गांधी वार्ड
		4	संजय नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	स्वामी विवेकानंद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		9	पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
		13	शिवराम मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	शीतला मंदिर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	2	संतोषी मंदिर वार्ड
		5	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
		15	चतुर्भुजी मंदिर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Ahiwara, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	3	Indira Gandhi Ward
		4	Sanjay Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	12	Swami Vivekanand Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	6	Pt. Jawahar Lal Neharu Ward
		9	Pt. Ravishankar Shukla Ward
		13	Shivram Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Shitla Mandir Ward
7.	Female	2	Santoshi Mandir Ward
		5	Subhash Chandra Bose Ward
		15	Chaturbhuji Mandir Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पाटन,

जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	अस्पताल चौक वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6	बेलाही पार वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	मीलपारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 11 13	अखरा वार्ड ब्राम्हण पारा वार्ड शीतला पारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	महावीर चौक वार्ड
7.	महिला वर्ग	4 7 9	बाबू बगीचा वार्ड आजाद चौक वार्ड भाटापारा वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Patan, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	8	Hospital Chowk Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	6	Belehi Par Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Millpara Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	3 11 13	Akhara Ward Brahmanpara Ward Shitlapara Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Mahavir Chowk Ward
7.	Female	4 7 9	Babu Bagicha Ward Azad Chowk Ward Bhathapara Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10 14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड मिनीमाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	ठाकुर अजयपाल सिंह वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	8 12 13	संत गुरू घासीदास वार्ड इंदिरा गांधी नगर वार्ड रानी दुर्गावती वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	राजीव गांधी नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6 9 11	सरदार पटेल वार्ड बाबा सैयद वार्ड रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gunderdehi, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	10	Dr. Bhimrao Ambedakar Ward
		14	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Thakur Ajaypal Singh Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Mahatma Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	8	Sant Guru Ghasidas Ward
		12	Indira Gandhi Nagar Ward
		13	Rani Durgawati Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Rajiv Gandhi Nagar Ward
7.	Female	6	Sardar Patel Ward
		9	Baba Saiyad Ward
		11	Rani Laxmi Bai Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिंछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत गु[illegible] जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	वीर सावरकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	रानी दुर्गावती वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	10	गुरू घासीदास वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	नेताजी सुभाष वार्ड
		6	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		12	पं. दीनदयाल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	सरदार पटेल वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	शीतला माता वार्ड
		8	ठाकुरदई वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gurur, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	15	Vir Savarkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Rani Durgavati Ward
3.	Scheduled Tribes	5	Dr. Ambedakar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	10	Guru Ghasidas Ward
5.	Other Backward Class	1	Netaji Subhash Ward
		6	Rani Laxmi Bai Ward
		12	Pt. Dindayal Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Sardar Patel Ward
7.	Female	7	Shitla Mata Ward
		8	Thakur Dai Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत डौण्डी, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	दुर्गा मंदिर वार्ड
		7	सरदार भगत सिंह वार्ड
		8	मदर टेरेसा वार्ड
		14	रानी झमिता कुंवर वार्ड
		15	रानी माई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	बजरंग वार्ड
		10	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग		निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)		निरंक
7.	महिला वर्ग	6	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
		11	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		12	चन्द्रशेखर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Doundi, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	9	Subhash Chandra Bose Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	4 7 8 14 15	Durga Mandir Ward Sardar Bhagat Singh Ward Mother Teresa Ward Rani Jhamita Kunwar Ward Rani Mai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1 10	Bajrang Ward Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
5.	Other Backward Class		Nil
6.	Other Backward Class (Female)		Nil
7.	Female	6 11 12	Dr. Rammanohar Lohiya Ward Swami Vivekanand Ward Chandrashekhar Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत डौण्डी-लोहारा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	5	भारत माता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	6	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2 14	टिकरापारा वार्ड जय महाकाली वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	मढ़ियापारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9 11 15	लाल रघुवीर सिंह वार्ड अम्बेडकर वार्ड राम नगर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	भगत सिंह वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	रानी झमिता कुंवर वार्ड
		12	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Doundilohara, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	5	Bharat Mata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	6	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Tikrapara Ward
		14	Jai Mahakali Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Madhiya Para Ward
5.	Other Backward Class	9	Lal Raghuvir Singh Ward
		11	Ambedakar Ward
		15	Ram Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Bhagat Singh Ward
7.	Female	7	Rani Jhamita Kunwar Ward
		12	Pt. Dindayal Upadhyay Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत डौंडी,

जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	गांधी चौक वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	6	घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	इंदिरा नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	कॉलेज कॉलोनी वार्ड
		9	नेहरू नगर वार्ड
		13	नयापारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	मिलपारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	बाजार चौक वार्ड
		8	घुमियार चौक वार्ड
		10	बंजारी पारा वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Utai, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Gandhi Chowk Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	6	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Indira Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	2	College Colony Ward
		9	Nehru Nagar Ward
		13	Nayapara Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Millpara Ward
7.	Female	7	Bazar Chowk Ward
		8.	Ghumiyar Chowk Ward
		10	Banjari Para Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत अर्जुंदा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
		6	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	प्रगति नगर वार्ड
		7	चांदनी चौक वार्ड
		14	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	मां शीतला वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		5	नंगारापाठ वार्ड
		9	मॉं परमेश्वरी वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Arjunda, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Schedulęd Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	2	Subhash Chandra Bose Ward
		6	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Dr. Ambedakar Ward
3.	Scheduled Tribes	11	Sardar Vallabgha Bhai Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	3	Pragati Nagar Ward
		7	Chandani Chowk Ward
		14	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Ma Shitla Ward
7.	Female	4	Swami Vivekanand Ward
		5	Nangarapath Ward
		9	Ma Parmeswari Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-34/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला-दुर्ग के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	शहीद वीर नारायण वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
		7	सुभाषचन्द्र वार्ड
		15	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	हनुमान वार्ड
		14	झरन माता वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		10	इंदिरा कॉलोनी वार्ड
		12	तिलक नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	मथुरा नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	शिव वार्ड
		13	सरदार पटेल वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-34/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Chikhalakasa, Distt. Durg is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	1	Dr. Ambedakar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	5	Shahid Vir Narayan Ward
		7	Subhash Chandra Ward
		15	Mahatma Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Hanuman Ward
		14	Jharan Mata Ward
5.	Other Backward Class	9	Lal Bahadur Shastri Ward
		10	Indira Colony Ward
		12	Tilak Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Mathura Nagar Ward
7.	Female	6	Shiv Ward
		13	Sardar Patel Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.